

29⁹/₂₃

पञ्चावली पक्ष दुरी वकील वादीगण उपस्थित
नहीं। कार-2 आवण लगवाई गयी। परंतु धाजिर नहीं।
अंतिम कार सामें 4:00 P.M. पर आवण लगवाई गयी।
धिरनी धाजिर नहीं। अतः प्रकरण वकील वादीगण एवं
वादीगण की कदम-धाजरी, कदम-धरवी में स्कारिज
किया जात है पञ्चावली किशन कुमार धरकर काउ
रकमील कामिल दफ्तर रहे।

व्य खण्ड अधिकारी
बांदीकई (दौसा)